तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	O.15 R.1 CPC व जवाबदावा व बहस की तामील हेतु मिसल दिनांक 4/11/19 को पेश हो। 21/10/19
4/11/19	वकीलान उपस्थित। कार्य स्थगन रखा। पी0 साहब अन्य कार्य में व्यस्त मिसल दिनांक 11/11/19 को पेश हो।
11/11/19	वकीलान उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र अ धारा 11 CPC पेश हुआ। नकल दिलाई गयी। ~~बहस सुनी गयी~~ दौरान बहस वकील प्रार्थी (प्रार्थना पत्र पेश कर्ता) ने कथन किया कि दावा में वर्णित भूमि खसरा नं0 2738, 2740, 2739 तन ग्राम खण्डेला तहसील खण्डेला बाबत पूर्व में एक वाद बउनवानी घुमाराम वगै0 बनाम मंगला वगै0 मु0 नं0 115/2014 जो कि मुजाहमत के आधार पर माननीय राजस्व न्यायालय द्वारा दिनांक 22.10.14 को डिक्री किया जा चुका है। जिसमें भूमि, पक्षकार व अनुतोष समान है जो पूर्ववर्ती वाद है। न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती वाद का अंतिम रूप से द्वारा निर्णय हो जाने पश्चात उनवानी दावा शंकरलाल बनाम कमली वगै0 मु0 नं0 139/19 वादी द्वारा न्यायालय में पेश कर दी जो कि विधि द्वारा वर्जित है। पश्चात वर्ती दावा 11/11/19

Scanned by CamScanner

चलने योग्य नहीं है। अत: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 CPC स्वीकार किया जाकर मूल दावा खारीज फरमाया जावे।

जबाब में वकील अप्रार्थी (वादी) ने कथन किया कि ख०न० 2740 का ही वादी (अप्रार्थी जबाबदाता) द्वारा उनवानी विचाराधीन वाद लेकर आया है पूर्व वाद में काफी खसरा नम्बरान थे तथा अनुतोष भी अलग-अलग है। विचाराधीन वाद में केवल ख०न० 2740 में से 0.57 हे० का अनुतोष चाहा गया है। अत: प्रा०पत्र अ० धारा 11 CPC इस वाद पत्र पर लागु नहीं होने से खारीज फरमाया जावे।

हमने बहस उभय पक्षकारान सुनी। तथा उस पर सगोर मनन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सूची के संलग्न दस्तावेज व प्रा०पत्र अ० धारा 11 CPC तथा जबाब प्रा०पत्र का अवलोकन किया तथा इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पूर्ववर्ती वाद सं० 11/2014 उनवानी फूलाराम वगै० बनाम मंगलाराम में भूमि ख०न० 2740 प्रतिवादी सं० 1 ता 5 के पति/पिता के नाम दर्ज करवाने हेतु राजीनामा पेश किया जाकर वादपत्र दिनांक 15/11/14 को डिक्री किया जा चुका है। अब उसी भूमि 2740 बाबत अप्रार्थी/वादी पुन: दावा न्यायालय हाजा में लेकर आया है जो चलने योग्य नहीं है। उक्त भूमि बाबत

11/11/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	वादी [illegible] ने पूर्ववर्ती वाद पत्र उनवानी कुमाराम वगैरह बनाम मंगला वगैरह प्र० सं० 115/2014 में दिनांक 25/6/14 को राजीनामा में हाजिर आकर प्रतिवादी सं० 1 ता 5 (यानी पूर्ववर्ती वाद पत्र के नाम यूकि में वादी सं० 2 मोहन) के नाम यूकि में वादी सं० 2 की खातेदारी नाम दर्ज ख० नं० 2740 की सहमति दी है तथा वाद पत्र करवाने हेतु सहमति दी है तथा डिक्री मुताबिक राजीनामा किया 115/2014 डिक्री, मुताबिक राजीनामा किया (चूंकि ख० नं० जा चुका है) अब वादी पुन: 2740 हेतु वाद लेकर आया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ० धारा 11 CPC स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद पत्र खारीज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	11.11.19 (रणजीत सिंह) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला मुकाम खण्डेला

बइजलास श्री रणजीत सिंह (आर.ए.एस)

शंकरलाल पुत्र छोटूराम जाति अहिर निवासी फतेहपुरा मोमिमान तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०)

(वादी)

बनाम

(1) कमली पत्नी मोहन (2) सोहनी (3) सन्तोष (4) गोकुल (5) सुनिता पुत्रियां मोहन समस्त जाति अहिर निवासी

दावा बावत दुरुस्ती रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 139 सन् 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस व हाजिरी श्री राजकुमार किलानियां एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री अप्रार्थी एड मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि पूर्ववर्ती वाद सं0 115/04 उनवानी फूलाराम वगैरा बनाम मंगलाराम में भूमि ख0नं0 2750 प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पति/पिता के नाम दर्ज करवाने हेतु राजीनामा पेश किया जाकर वाद पत्र दिनांक 13/11/14 को डिक्री किया जा चुका है अब उसी भूमि बाबत अप्रार्थी/वादी पुनः दावा न्यायालय में लेकर आया है जो चलने योग्य नहीं है उक्त भूमि बाबत वादी शंकरलाल ने पूर्ववर्ती वाद पत्र उनवानी ....बावत..........खर्चा निज..........मुबलिग..........इस मुकदमें के मय सूद बशरह..........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

वसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 11 सन 2015 को जारी की गई।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)
ओहदा..........

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

⊕ फतेहपुरा ओमियान तहसील खण्डेला जिला सीकर राज०
6. पटवार हल्का खण्डेला
7. उपपंजीयक खण्डेला
8. अधिकारी तहसीलदार खण्डेला (प्रतिवादीगण)

⊞ फूलाराम वगै० बनाम मंगलाराम वगै० मु०सं० 115/14 में दिनांक 25/6/14 को राजीनामा में हाजिर आकर प्रतिवादी सं० 1 ता 5 (यानी पूर्ववर्ती वाद पत्र में वादी सं० 2 मोहन) के नाम भूमि ख० नं० 2750 की खातेदारी नाम दर्ज करवाने हेतु सहमती दी है तथा वाद पत्र 115/2014 डिक्री मुताबिक राजीनामा किया जा चुका है अब वादी पुन: भूमि ख० नं० 2750 हेतु वाद लेकर आया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना अ० धारा 11 CPC स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद खारीज किया जाता है।

(रणजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner